



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6061

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 73 वर्ष 2026

दिनेश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ और 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	दिव्या ज्योति, मोहम्मद फहद
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	भारत के उप सॉलिसिटर जनरल

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री दिव्या ज्योति की ओर से उपस्थित श्री देवेश मिश्रा (एओआर ए/डी 0378 वर्ष 2018) और राज्य की ओर से श्री एस. के. पाल, भारत के उप सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुनीं।
2. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपति उठाई गई है कि इस न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं हो सकता है, विशेष रूप से तब जब बर्खास्तगी आदेश जम्मू कश्मीर में पारित किया गया था और अपीलीय और पुनरीक्षण आदेश दिल्ली में पारित किए गए हैं। वह राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2005) 1 यूपीएलबीईसी 108 में पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा करना चाहते हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त आपति का उत्तर देने के लिए तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता इटावा जिले का निवासी है और वर्तमान में वह वहीं रह रहा है जहां सभी पत्राचार मौजूद हैं। वे यह तर्क देने के लिए कि इस न्यायालय को उस मामले पर क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त है कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य: (2004) 6 एससीसी 254, नवल किशोर शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य: (2014) 9 एससीसी 329, विशेष अपील संख्या 742 वर्ष 2012 (जीत यादव बनाम भारत संघ और अन्य) दिनांक 24.04.2012 को निर्णीत और विशेष अपील संख्या 215 वर्ष 2017 (भारत संघ बनाम श्री फतेह बहादुर) दिनांक 13.04.2017 को निर्णीत, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना चाहते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. मैंने न्यायालय प्रस्तुत की गई दलील सुनी है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
4. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता बीएसएफ में कार्यरत था और उसकी सेवाएं जम्मू और कश्मीर में प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई थी और दिल्ली में अपील और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई वाद कारण(हेतुक) नहीं बनता है जिससे इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचारणीय हो सके। जहां तक **कुसुम इंगोत्स एंड अलॉयज लिमिटेड (उपरोक्त), नवल किशोर शर्मा (उपरोक्त), जीत यादव (उपरोक्त), भारत संघ बनाम श्री फतेह बहादुर (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए फैसले का संबंध है, वे लागू नहीं होते हैं, विशेष रूप से जब वे ऐसे मामले हों जिनमें कार्यवाही का एक हिस्सा उस न्यायालय के भीतर उत्पन्न हुआ हो जिसमें कार्यवाही शुरू की गई थी।
5. इस समय, श्री देवेश मिश्रा, निर्देशों के अनुसार, यह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता उस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करेगा जिसके पास इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकारिता है।
6. उक्त कथन को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है और याचिकाकर्ता को इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में जाने का विकल्प खुला रखा जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 जनवरी, 2026

राजेश